सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा :.सं . NCST/DEV-3450/JH/37/2024-ESDW-RU-IV दिनांक: 01.05.2025

सेवा मे,

श्रीमती नैन्सी सहाय
उपायुक्त,
जिला – हजारीबाग,
कार्यालय उपायुक्त,
हजारीबाग, झारखण्ड-825301,
E.mail: dc-haz@nic.in

विषय: कोल परियोजना के नाम पर भूमि अधिग्रहित कर लेने और उसका उचित और सही समय पर वैध लोगों को मुआवजा और रोजगार नहीं देने के संबंध में श्री निर्मल गंझू, गिद्दी बस्ती, प्रखंड एवं थाना-डाडी, जिला-हजारीबाग़ (झारखंड) का पत्र/अभ्यावेदन

संदर्भ: आयोग का नोटिस दिनांक 27.11.2024 (प्रतिलिपि संलग्न)

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकडा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषककी जांच/ जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **16.05.2025 को 12: 40** P.M बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड 8 के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग मे उपस्थित होने केलिए सूचनार्थ:

श्री निर्मल गंझू,
गिद्दी बस्ती,
प्रखंड एवं थानाडाडी-,
जिला(झारखंड) हजारीबाग़-
Mobile No:8002523011

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading